न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 6 सन 2018
अनवान :—

1. राकेश पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा बास हाल आबाद नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. रायसिह 2. रामस्वरूप 3. शिशपाल पि0 हरलाल जाति जाट साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सरपंच ग्रमा पंचायत थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल रेस्पोडेन्ट

5. बनवारी पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 16.06.1996 रोही मौजा चक 2 टी.के.एम. ढण्ढेला को निरस्त करने ।

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 22/07/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 व 5 ने चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 61 के प0न0 224/405(45) के किला न0 13 ,14/2.00 बीधा , 17 ता 19/3.00 बीधा 22 ता 24/3.00 बीधा कुल 8.00 बीधा भूमि व मु0न0 224/406(46) के किला न0 1/0.18 बिस्वा , 2 ता 9/0.08बिस्वा , 12 ता 19/8.00 बीधा कुल 16.18 बीधा भूमि दोनो खातों की 24.18 बीधा भूमि जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 16.05.1996 को श्योचन्द पुत्र कुरडाराम से खरीद की थी खरीद के पश्चात वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया व अब पाचों खरीददारों को कब्जा काश्त में चली आ रही है।

बैयनामा अपीलान्ट के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पचायत थालडका में पेश किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 16.06.1996 को नामान्तरकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे तस्दीक कर दिया अपीलान्ट एवं रेस्पो संख्या 5 के नाम से नामान्तकरण दर्ज ही नही किया

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने खरीद के समय से ही यह मान लिया था कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण दोनो के नाम से दर्ज हो चुका है मगर अब अपीलान्ट ने खाता विभाजन करवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्राप्त की तो ज्ञान हुआ की अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम से भूमि दर्ज ही नही है जिस पर दिनांक 27.07.2018 को नकल प्राप्त की तथा बैयनामा की नकल लेकर पटवारी हल्का से मिला तो नामान्तकरण दर्ज करने से मना कर दिया। अपीलानन्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की खरीद शुद्वा भूमि अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के नाम दर्ज नही होने के कारण अपीलन्ट एवं रेस्पोडेन्ट को काफी नुकसान होता है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 94 /16.06.1996 ग्राम पंचायत थालडका को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्टपोडेन्ट संख्या 5 के साथ बहिव दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया रेस्पोडन्स संख्या 4 ,5 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

गाय रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर अपीलान्ट की अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी

वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 व 5 ने चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 61 के प0न0 224/405(45) के किला न0 13 ,14/2.00 बीधा , 17 ता 19/3.00 बीधा 22 ता 24/3.00 बीधा कुल 8.00 बीधा भूमि व मु0न0 224/406(46) के किला न0 1/0. 18 बिस्वा , 2 ता 9/0.08बिस्वा , 12 ता 19/8.00 बीधा कुल 16.18 बीधा भूमि दोनो खातों की 24.18 बीधा भूमि जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 16.05.1996 को श्योचन्द पुत्र कुरडाराम से खरीद की थी

बैयनामा अपीलान्ट के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत थालडका में पेश किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 16.06.1996 को नामान्तरकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में तस्दीक कर दिया अपीलान्ट एवं रेस्पो संख्या 5 के नाम से नामान्तकरण दर्ज ही नही किया

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 94 /16.06.1996 ग्राम पंचायत थालडका को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्टपोडेन्ट संख्या 5 के साथ बहिब दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की अपीलान्ट की अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 वाद भूमि के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा बैयनामा 16.05. 1996 के अनुसार वाद भूमि रायसिह , रामस्वरूप शिशपाल पि0 हरलाल जाति जाट साकिन सरदारपुरा एवं बनवारी व राकेश पि0 शेराराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा के द्वारा श्योचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकन असरजाना से जरिये रजिस्ट्रड बेयनामा के खरीद की गई थी। बेयनामा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 94 रोही मौजा चक 2 टीकेएम दिनांक 12.06.1996 को ग्राम पंचायत थालडका ने ग्राम पंचायत की बैठक में तस्दीक किया गया जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का नाम ही अंकित नही किया गया जो न्यायोचित नही है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बैयनामा के अनुसार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसके लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को किसी प्रकार का ऐतराज नही होना भी व्यक्त किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 94 रोही मौजा चक 2 टीकेएम स्वीकृत दिनांक 12.06.1996 को निरस्त किया जाता है जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर पूनः निर्णय पारित किया जावें निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner